कार्यालय : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर (म.प्र.)

।। परिपत्र ।।

क्रं.. 06 /दो–22–3/62 दिनांक : 27/06/2023

मेरे संज्ञान में लाया गया है कि कार्यालय स्थानांतरण आदेशों के अनुक्रम में स्थानांतरित तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण के द्वारा नियत समयावधि में अपना नवीन पद पर पदभार ग्रहण नहीं किया जाता हैं, जिसके कारण न्यायालयीन एवं अनुभाग का कार्य बाधित होता है।

अतः समस्त स्थानांतरित तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह अपना कार्यभार उनके स्थान पर आये कर्मचारी को सौंपकर नवीन पदस्थापना पर अपना पदभार समयावधि में ग्रहण करें।

कार्यभार सौंपने हेतु स्थानांतरित कर्मचारी के स्थान पर अन्य न्यायालय अथवा अनुभाग से आने वाले कर्मचारी की उपस्थिति में विलंब होने की दशा में कर्मचारीगण अपने न्यायालय/अनुभाग के अन्य सह–कर्मचारी को एवं अनुभाग में एक कर्मचारी पदस्थ होने की स्थिति में अन्य अनुभाग के कर्मचारी को दो दिवस में अपना कार्यभार सौंपकर अविलंब नवीन पदस्थापना पर अपना कार्यभार ग्रहण कर सूचना कार्यालय की ओर भेजा जाना सुनिश्चित करें।

जिन कर्मचारीगण द्वारा स्थानांतरण के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं, उन अभ्यावेदन पर कर्मचारीगण द्वारा नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत ही विचार किया जायेगा।

अतः संबंधित समस्त पीठासीन अधिकारी/प्रभारी अधिकारी जिला मुख्यालय एवं बाह्य तहसील मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह ये सुनिश्चित करें कि उपरोक्त आदेशों का कर्मचारीगण द्वारा कड़ाई से पालन किया जायें। यदि कर्मचारियों द्वारा उक्त आदेश का पालन समयावधि में नहीं किया जाता है तो संबंधित कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म.प्र.)

क्रं.. 3071 / दो–22–3 / 62 दिनांक : 27 / 06 / 2023

<u>प्रतिलिपि</u> :–

1– प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय सागर।

2– समस्त पीठासीन अधिकारी / समस्त प्रभारी अधिकारी अनुभाग सागर / खुरई / बीना / देवरी / बंडा / रहली / गढाकोटा / केसली एवं श्रृंखला न्यायालय शाहगढ़ / मालथौन की ओर समस्त कर्मचारियों को सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

3– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सागर।

4– जिला रजिस्ट्रार, जिला न्यायालय सागर।

5– कोर्ट मैनेजर, जिला न्यायालय सागर।

6– प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायालय सागर।

7– निज सहायक, प्रधान जिला न्यायाधीश सागर।

8– जे0एस0ए0 सागर की ओर परिपत्र की प्रति सर्वसंबंधित को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किये जाने हेतु प्रेषित।

9– समस्त तृतीय कर्मचारीगण जिला मुख्यालय सागर एवं बाह्य तहसील मुख्यालय की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म.प्र.)